

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 164 / 2022

रामोतार मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनू, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 06.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 164 / 2022 पर दिनांक 13.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 2144-45 दिनांक 13.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू ने पत्रांक आर0टी0आई0/प्रथम अपील/2022 / 679-680 दिनांक 23.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.04.2022 को श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, (जिला कलक्टर) झुंझुनू को आवेदन किया था जो श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) झुंझुनू के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0 / 09 / 126 दिनांक 11.04.2022 द्वारा अन्तरित होकर दिनांक 12.04.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। बिन्दू सं0 एक में वर्णित आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आर0टी0आई0/2022/661-62 दिनांक 10.05.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के अन्तर्गत वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू द्वारा पत्रांक आर0टी0आई0/प्रथम अपील/2022 / 679-680 दिनांक 23.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.04.2022 को श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, (जिला कलक्टर) झुंझुनू को आवेदन किया था जो श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) झुंझुनू के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0 / 09 / 126 दिनांक 11.04.2022 द्वारा अन्तरित होकर दिनांक 12.04.2022 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था। बिन्दू सं0 एक में वर्णित आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आर0टी0आई0/2022/661-62 दिनांक 10.05.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के अन्तर्गत वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू